प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 123/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)
गणेशलाल धोबी पिता रोडा जी धोबी निवी इण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर
..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर
..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/09/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/123/25/785–86 दिनांक 12.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./123/25/852–53 दिनांक 26.08.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे वर्णितानुसार बिन्दु संख्या 1 से 6 की सूचना चाही जा रही है। उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.03.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 का सम्बन्ध सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, उदयपुर से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 202–03 दिनांक 12.03.2025 से अंतरित किया गया। बिन्दु संख्या 2 व 5 का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति मावली से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 204–05 दिनांक 12.03.2025 से अंतरित किया गया। बिन्दु संख्या 3 व 6 का सम्बन्ध तहसीलदार मावली से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 206–07 दिनांक 12.03.2025 से अंतरित किया गया। बिन्दु संख्या 4 का सम्बन्ध अति. निबन्धक, लोक सूचना अधिकारी, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 208–09 दिनांक 12.03.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित किया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी सूचित किया जा चुका है। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय के समसंख्यक पत्रांको (202 से 209) दिनांक 12.03.2025 द्वारा सम्बन्धित कार्यालय को अन्तरित कर दिया गया है एवं अंतरण की सूचना से प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर प्रशा.) उदयपुर द्वारा प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-07-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर